राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प. 2(1)कार्मिक/क–2/अं.प्र./91 पार्ट जयपुर, दिनांक : 11 JUN 2018

परिपत्र

समस्त अति0 मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)।

विषयः–नियमित विभागीय पदोन्नति समिति हेतु वांछित अनुभव में शिथिलन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

सभी सेवा नियमों में पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में शिथिलन संबंधी प्रावधान समाहित किया हुआ है। किसी भी पद/संवर्ग में नियमित डीपीसी आयोजित करने से पूर्व वांछित अनुभव में शिथिलन हेतु कार्मिक विभाग की पूर्वानुमति आवश्यक है।

वर्तमान में कार्मिक विभाग द्वारा चालू डीपीसी वर्ष की एक अप्रैल को 50% से अधिक रिक्ति उपलब्ध होने की स्थिति में ही वांछित अनुभव में एक तिहाई अवधि का शिथिलन प्रदान किया जा रहा है। प्रायः यह देखा जाता है कि प्रशासनिक विभाग द्वारा चालू डीपीसी वर्ष में उच्चतर पद पर पदोन्नति/अन्य कारणों से उपलब्ध रिक्तियों को भी एक अप्रैल की स्थिति में दर्शाते हुये अनुभव में शिथिलन के प्रस्ताव कार्मिक विभाग को प्रेषित किये जा रहे हैं।

इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुभव में शिथिलन हेतु उन्हीं प्रकरणों को प्रेषित किया जावे जिनमें चालू डीपीसी वर्ष में एक अप्रैल से पूर्व स्पष्ट रूप से 50% से अधिक रिक्तियां उपलब्ध हों अर्थात् चालू डीपीसी वर्ष में सेवानिवृत्ति/ पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से उपलब्ध होने वाली रिक्तियां सम्मिलित नहीं हो एवं एक अप्रैल को स्पष्ट रूप से रिक्ति उपलब्ध हों।

समस्त विभागाध्यक्षों/नियुक्ति अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुभव में शिथिलन के प्रस्ताव को डीपीसी से सम्बन्धित पत्रावली पर मय सम्बन्धित वर्ष की वरिष्ठता सूची निम्न तालिकानुसार भिजवावे ताकि कार्मिक विभाग द्वारा लोकहित में अनुभव में छूट के प्रकरणों पर विचार किया जा सके :–

पदनाम	कुल स्वीकृत पद	चालू डीपीसी वर्ष की एक अप्रैल को कार्यरत कार्मिकों की संख्या	चालू डीपीसी वर्ष की एक अप्रैल से पूर्व स्पष्ट उपलब्ध रिक्त पद	चालू डीपीसी वर्ष में अनुभव में छूट के बिना पदोन्नत होने वाले कार्मिकों की संख्या	चालू डीपीसी वर्ष में एक तिहाई अवधि की छूट पश्चात् सम्भावित पदोन्नत होने वाले कार्मिकों की संख्या
1	2	3	4	5	6

(भास्कर ए.सावन्त)
शासन सचिव

31/2018

Guru ji//2018/Circular-3

कृ.प.उ.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव (प्रथम/द्वितीय), मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।

11/6/2018
(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भी प्रेषित है।

11/6/2018
संयुक्त शासन सचिव